बिल का सारांश

हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और रेगुलेशन (दूसरा संशोधन) बिल, 2023

- हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और रेगुलेशन (दूसरा संशोधन) बिल, 2023 को 25 अगस्त, 2023 को विधानसभा में पेश किया गया। यह हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और रेगुलेशन एक्ट, 1975 में संशोधन करता है। एक्ट शहरी क्षेत्रों में भूमि के उपयोग को रेगुलेट करता है।

- **स्वतंत्र वाणिज्यिक मंजिलों का पंजीकरण**: एक्ट एक लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में एक आवासीय मंजिल को स्वतंत्र आवासीय इकाई के रूप में संपत्ति लेनदेन के तहत पंजीकरण की अनुमति देता है। इनमें स्थानांतरण, बिक्री, उपहार, एक्सचेंज और लीज़ शामिल हैं। हालांकि एक्ट में व्यावसायिक भवनों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बिल एक लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में स्थित वाणिज्यिक भवन में एक स्वतंत्र मंजिल के पंजीकरण की अनुमति देता है। इसमें प्रावधान है कि वाणिज्यिक इकाई के तहत भूमि के उप-विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और पंजीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक इकाई तक सीमित होगा। एक्ट के तहत आवासीय मंजिलों पर भी ऐसी ही शर्तें लागू होती हैं।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अर्पिता मलिक
arpita@prsindia.org

4 सितंबर, 2023